<u>समाचार</u>

<u>नगर पालिका आम निर्वाचन 2019</u>

मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य का दिया गया सघन प्रशिक्षण

कोरबा 03 अगस्त 2019 —नगर पालिका आम निर्वाचन 2019 के संदर्भ में मतदाता सूची तैयार करने, पुनरीक्षित करने के संबंध में आज निगम कार्यालय साकेत भवन में रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा अन्य संलग्न अधिकारी कर्मचारियों को पुनरीक्षण कार्य का सघन एवं सूक्ष्म प्रशिक्षण दिया गया।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती किरण कौशल के मार्गदर्शन में जिले में नगर पालिका आम निर्वाचन 2019 की तैयारियां की जा रही हैं, तैयारियों के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्वाचन नामावली तैयार किए जाने एवं पुनरीक्षित किए जाने का कार्य किया जाना हैं, इस हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। आज नगर पालिक निगम कोरबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत में उप जिला निर्वाचन अधिकारी कमलेशनंदनी साहू की उपस्थिति में मुख्य मास्टर ट्रेनर एम.एम.जोशी द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों व कार्य में संलग्न किए गए अन्य अधिकारी कर्मचारियों का कार्य का सघन एवं सूक्ष्म प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में एस.डी.एम. कटघोरा अजय उरांव, डिप्टी कलेक्टर संजय मरकाम, कोरबा तहसीलदार सुरेश कुमार साहू, नायब तहसीलदार कोरबा विरेन्द्र कोसले, नायब तहसीलदार दीपका एस.के. पैकरा, निगम के उपायुक्त बी.पी.त्रिवेदी, नगरीय निकाय कटघोरा, दीपका, पाली एवं छुरी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी आदि के साथ अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। मास्टर ट्रेनर एम.एम.जोशी ने प्रशिक्षण देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार निर्वाचन नामावली में नाम जोड़ने हेतु प्रारूप '' क '', नाम सुधार हेतु प्रारूप '' ख '' एवं नाम कटवाने हेतु प्रारूप '' ग '' प्रपत्र भरने होंगे तथा प्रत्येक के लिए संबंधित द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उन्होने कहा कि संबंधित फार्म त्रुटिरहित रूप में पूर्ण रूप से भरे जाने चाहिए, दावा आपत्ति के बाद वृद्धि या कमी 02 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, यदि वृद्धि या कमी 02 प्रतिशत से अधिक होती है तो उसके ठोस कारण बताने होंगे। उन्होने प्रशिक्षण देते हुए अधिकारियों से कहा कि नाम जोड़ने या कटवाने के लिए यदि आपके पास थोक में नाम प्रस्तुत किए जाते हैं तो उन्हें आपको स्वीकार नहीं करना है, जिस व्यक्ति का नाम जोड़ा जाना हैं, उसके आपके सामने उपस्थित होना होगा, उन्होने विशेष रूप से रेखांकित करते हुए कहा कि निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्य पूर्ण रूप से निष्पक्ष एवं पारदर्शी होना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर श्री जोशी ने मतदाता सूची तैयार करने, पुनरीक्षित करने के संबंध में कमबद्ध रूप से की जाने वाली सम्पूर्ण कार्यवाही से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों की जानकारी उपस्थित अधिकारियों को दी तथा तदानुसार सभी आवश्यक कार्यवाही त्रुटिरहित रूप से संपादित कराए जाने के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण दिया।